

सेवाय समर्पण  
कार्यवाही राजस्व वीणा विभाग



वी. डी. ए. शांतिदास-अधीन कानून, कोटा जे. सी. दिल्ली-८

नं. डी. ए. वी. राज / 51-51 523-191/व. य. 301/न

दिनांक 30/8/51

सेवा में,

नाम MA P OI MANAGERS S. SUNDARAM LATE  
 नं-1/10. 22. 506888C. RAJ. K. 24. 50.  
 No. 501/1-11. 0816.

विभाग : दिल्ली में शांतिदास वीणा सेवाय समर्पण करने के लिए जो, उसके कर्तव्यों के मुताबिक से प्रकृत  
 एवं अंगरेजों से करवाएँ।

अच्छे प्रस्ताव किया जाना है कि आपें तथा कानूनकारों के मुताबिक विभाग में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दिल्ली विभाग आपसे संबंधित में कार्य कर ले कर करे करवाएँ विभाग 1.5.50 (P) में कर्तव्यों मुक्त वीणा अधिनियम 1948 (गवर्नमेंट) के अंतर्गत शामिल है। अतः अगले विवेक है कि क्या अधिनियम के विहित उपबंधों का अनुपालन करें और हारे दिल्ली कर्तव्यों में उनके मुताबिक से सभी कर्तव्यों का पूर्णतया करने के लिए और अंगरेजों के अद्ययनी करने के लिए उचित व्यवस्था करें।

प्रकृतिय के प्रयोजन के लिए आपसे विवेक है कि कर्तव्यों वीणा (शांतिदास) विभाग 1950 के विभाग 12 के अनुसार 1.5.50 को निर्धारण करना और मुक्त कर्तव्यों/कार्यों की स्थिति को तदनुसार कर आपके कर्तव्यों के सभी व्यक्तिगत वीणा कर्तव्यों के मुताबिक से इन कर्तव्यों से कोषागार प्रस्तुत करें।

कर्तव्यों वीणा वीणा अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित 22 पर कर्तव्यों के अंगरेजों की अद्ययनी करवाएँ, मुख्य वीणा (शांतिदास) विभाग 1950 के विभाग 31 के अंतर्गत निर्धारित वीणा में अंगरेजों को कब तक करवाएँ की जाए।

आपके कर्तव्यों को सेंट वीडा में करवाएँ 3.9.50/न. आपका जो है कि प्रकृत प्रस्ताव इन कर्तव्यों को भेजे जाने वाले सभी तथों में किया जाना इन सेंट वीडा का उद्देश्य कर्तव्यों/मुक्त कर्तव्यों को सेंट वीडा के प्राप्त इन कर्तव्यों को भेजे जाने वाले सभी तथों तथा विवेकियों में किया जाए।

अथवा  
 प्रकृतिय को पर अनुदेश दिये गये है कि कर्तव्यों के संवेक्षण के मुताबिक से आपसे आवश्यक महसूस करें। यदि आपसे किसी प्रकार की कठिनाई हो अपना इन मुताबिक में किसी प्रकार का परिश्रम अपेक्षा हो तो आप इन कर्तव्यों अथवा स्वकीय कर्तव्यों के प्रत्यक्ष से संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप को ज्ञात भी उपर्युक्त प्राचीन कर्तव्यों में प्राप्त कर सकते हैं। निश्चिंत विवेक के लिए सेंट वीणा वीणा अधिनियम के विभाग 31 के अंतर्गत कर्तव्यों को मुक्त कर सकते हैं। दिल्ली क्षेत्र में कर रहे कर्तव्यों मुख्य वीणा अधिनियम की मुक्ति विवेक (विशेष) कर्तव्यों को वीणा अधिनियम समवेक्षण कर दिल्ली में प्राप्त की जा सकते हैं।

70510519230011091  
 20510519230011091  
 20510519230011091  
 20510519230011091  
 20510519230011091

